भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2269

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन</u>

2269. श्री कुलदीप इंदौराः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश और परियोजनाओं के साथ अग्रणी है;

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कोई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए इन जिलों के नाम पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): कॉप-26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहा है। दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 222.86 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें 102.57 गीगावाट सौर विद्युत, 48.59 गीगावाट पवन विद्युत, 11.45 गीगावाट जैव-विद्युत, 52.07 गीगावाट जल विद्युत और 8.18 गीगावाट परमाणु विद्युत शामिल है।

राजस्थान राज्य में दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, 27.64 गीगावाट की सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। राज्य ने पवन ऊर्जा की महत्वपूर्ण 5.2 गीगावाट क्षमता भी विकसित की है।

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य सहित देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न प्रयास तथा पहल की है, जैसा कि अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

इसके अलावा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 जारी की है। राजस्थान सरकार ने निवेश शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया है और डेवलपर्स से भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

(ङ) और (च): आरआरईसीएल और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है। आरआरईसीएल ने बताया कि ये जिले पवन ऊर्जा संभाव्यता क्षेत्र के अनुकूल नहीं हैं। सौर परियोजनाओं के लिए डेवलपर, भूमि की उपलब्धता और अपनी योजना के अनुसार अपनी परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2269 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड) द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पहन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए है। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-**II**

'नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2269 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

राजस्थान के श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में चालू की गई सौर परियोजनाओं का ब्यौरा

डेवलपर का नाम	क्षमता (मेगावाट)	जिला
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, साधूवली मिलिट्री कैन्ट, श्री गंगानगर	2	श्री गंगानगर
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, केशरीसिंहपुर, साधूवली मिलिट्री कैन्ट, श्री गंगानगर	0.21	
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन, श्री गंगानगर	2	
श्री सीमेंट लि., सूरतगढ़	12.98	
एनटीपीसी लि., श्रीविजयनगर	160	
एजीवी सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	2	हनुमानगढ़

पीएम-कुसुम के अंतर्गत स्थापित परियोजनाओं का ब्यौरा

जिला	घटक-क (मेगावाट)	घटक-ख (पंपों की संख्या)	घटक-ग (फीडर स्तरीय सौरीकरण) (मेगावाट)
श्री गंगानगर	4.5	10403	2.56
हनुमानगढ़	2	4375	2.52

दिनांक 07.03.2025 की स्थिति के अनुसार पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा

जिला	आवेदन (संख्या)	लाभान्वित परिवार (संख्या)
श्री गंगानगर	9,105	1,909
हनुमानगढ़	10,919	1,423

*****